

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 128/2018
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 15/05/2018

:: निर्णय ::


प्रार्थी श्री द्वानलाल विजयपाल पांडे, जिम्मा, चाखा, शान्ति भव्यातु, लेमी बेवा स्व.
12 डि.च.


जति माली उन्नयन नि० महागांव तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत दमडी दिनांक 15/05/2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा महागांव पंचायत समिति देवडा में स्थित खाता संख्या 19 पर आराजी नं० 566 कुल 02 बीघा

03 बिस्वा किता 1 योग रकबा 2.03 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काशत करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी राकर वर्मा नि० महागांव ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम महागांव के खसरा नं० 565 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 1.14 की जमाबंदी सम्वत् 2031-74 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काशतकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा महागांव में स्थित खाता संख्या 34 पर आराजी नं० 565 रकबा 1.14 कुल किता 1 कुल रकबा 1.14 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा महागांव में स्थित खाता संख्या 19 पर आराजी नं० 566 रकबा 2.03 बिघा कुल किता 1 कुल रकबा 2.03 विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक दमडी के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 350 प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


क० ३१५१


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर